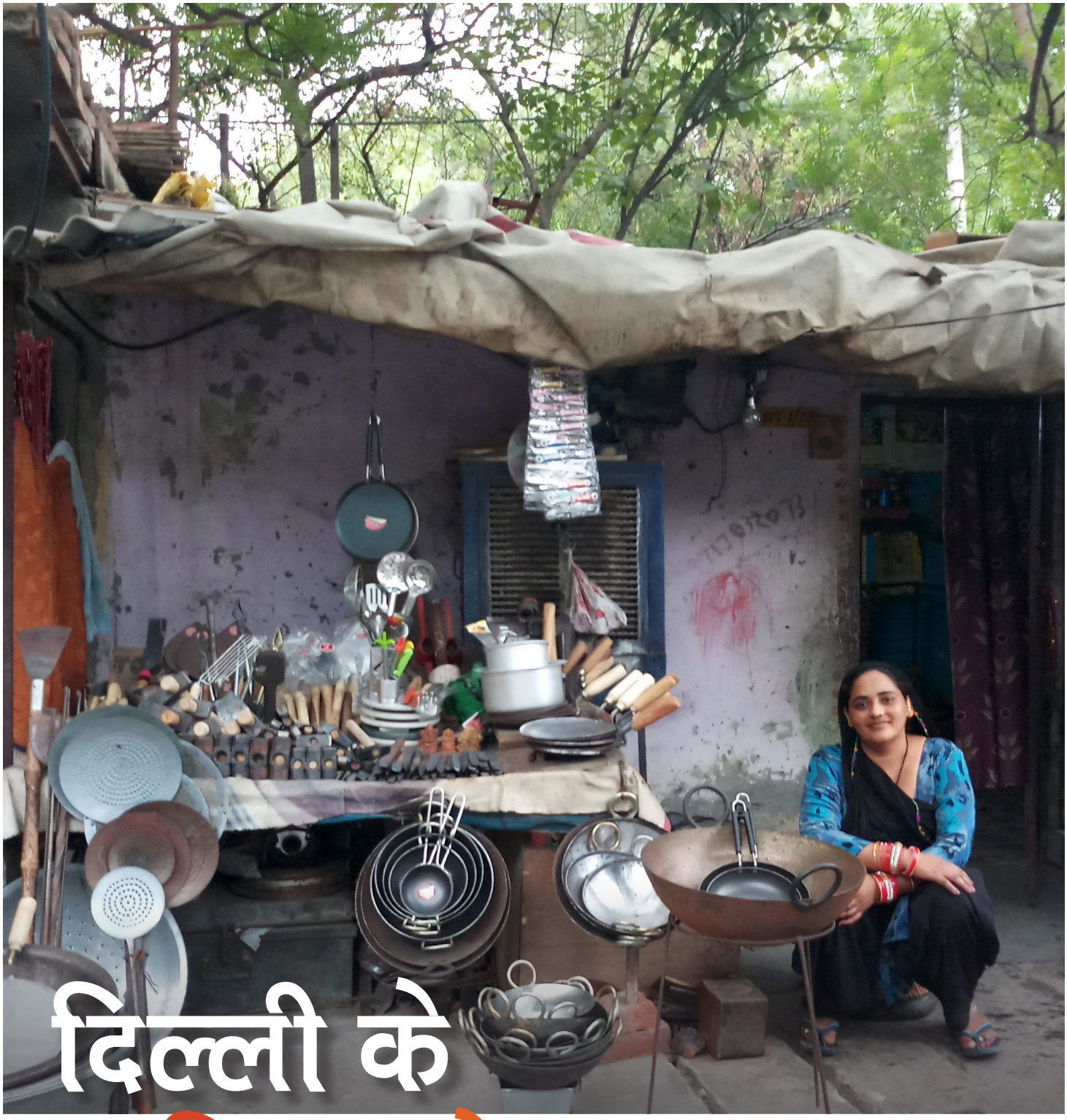

दिल्ली के गाड़िया लोहार समुदाय की जीवन-दशा

HOUSING AND LAND RIGHTS NETWORK

प्रस्तावित उद्धरणः दिल्ली के गाड़िया लोहार समुदाय की जीवन–दशा, आवास और भूमि अधिकार संगठन, नई दिल्ली, 2019

सर्वे टीमः दीपक, किरण, कोमल, महेंद्र, पवन, पिंकी, रीना, संजय, सतपाल, सोम, सोनम, शिवानी, सुनील, और सुनीता (गाड़िया लोहार संघर्ष समिति, नई दिल्ली के सदस्य)

लेखकः ऐश्वर्य आयुष्मान और अशोक पाण्डेय

अनुवादकः प्रीति तिवारी

संपादकः शिवानी चौधरी

प्रकाशनः
हाउसिंग एंड लैंड राईट्स नेटवर्क / आवास और भूमि अधिकार संगठन
जी–18 / 1, निज़ामुद्दीन पश्चिम
नई दिल्ली – 110013
भारत
+91-11-4054-1680
contact@hlrn.org.in
www.hlrn.org.in | @HLRN_India

ISBN: 978-81-935672-5-8

New Delhi, September 2019

This publication is printed on CyclusPrint based on 100% recycled fibres

दिल्ली के गाड़िया लोहार समुदाय की जीवन-दशा

विषय सूची

1. रिपोर्ट की पृष्ठभूमि 1

2. परिचय 2

3. गाड़िया लोहार समुदाय की पृष्ठभूमि 3

4. अध्ययन का उद्देश्य एवं प्रणाली 5

5. अध्ययन के मुख्य परिणाम 7

6. सुझाव और अनुशंसा 15

7. निष्कर्ष 20

संलग्नक

संलग्नक 1: दिल्ली में सर्वेक्षण किये गये गाड़िया लोहार बस्तियों की सूची 21

संलग्नक 2: अध्ययन के लिये उपयोग की गई प्रश्नावली 23

अध्याय 1

रिपोर्ट की पृष्ठभूमि

आवास और भूमि अधिकार संगठन (एच.एल.आर.एन./HLRN), उन सभी व्यक्तियों और समुदायों, खास कर सबसे वंचित वर्गों, के समुचित आवास और भूमि संबंधी मानवाधिकारों की पहचान, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिये काम करता है ताकि वे शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन जी सकें। एच.एल.आर.एन. (HLRN) अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जन वकालत, रिसर्च, मानवाधिकार की शिक्षा तथा स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर नेटवर्क बनाकर काम करता है।

आवास और भूमि अधिकार संगठन अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से गाड़िया लोहार समुदाय के साथ सक्रिय रुप से जुड़ा है। यह समुदाय अति वंचित और गरीब है जो मुख्य रुप से शहर एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों की बस्तियों में बहुत बुरी स्थिति में निवास करता है। दिल्ली में गाड़िया लोहार समुदाय पर जानकारी और आंकड़ों की जबरदस्त कमी तथा सरकार द्वारा उनके मानवाधिकारों की अनदेखी को देखते हुए एच.एल.आर.एन. (HLRN) ने यह तय किया कि दिल्ली में इनकी बस्तियों एवं जीवन–दशा का एक दस्तावेज तैयार किया जाये। इसके लिये एच.एल.आर.एन. (HLRN) ने दिल्ली में इस समुदाय के साथ मिलकर फरवरी और मार्च 2019 में गाड़िया लोहार समुदाय के बस्तियों पर शोध किया। यह रिपोर्ट दिल्ली के 58 गाड़िया लोहार समुदाय की बस्तियों में सर्वे और समूह चर्चा के माध्यम से किये गये अध्ययन के निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है।

ढका गांव, मुखर्जी नगर, दिल्ली में गाड़िया लोहार समुदाय का एक घर

अध्याय 2

परिचय

गाड़िया लोहार[1] समुदाय ऐतिहासिक रुप से चित्तौड़गढ़, राजस्थान का एक घुमन्तु समुदाय है जो वर्तमान में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ–साथ भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करता है। ये छोटे स्तर पर लोहे के यंत्र, बर्तन तथा अन्य वस्तुयें बना कर अपनी गाड़ी में (जिसे 'गाड़िया' कहा जाता है) बेचते हैं, जिससे इनका जीविकोपार्जन होता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली एन.सी.आर.) के लगभग 90 बस्तियों में गाड़िया लोहार समुदाय कई दशकों से निवासरत हैं। ये बस्तियां मुख्यतः सड़क के किनारे और ऐसे फुटपाथ पर बसे हैं जहां से ये अपना व्यवसाय कर सकें। हालांकि यह समुदाय शहर की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फिर भी ये लोग निरन्तर जबरन बेदखली के भय के बीच, बिना किसी पर्याप्त आवासीय व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं के निवास करते हैं।[2]

कई दशकों से दिल्ली में निवास करने के बावजूद, ज़्यादातर गाड़िया लोहार समुदाय की बस्तियों को दिल्ली सरकार व दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डुसिब/DUSIB) ने न तो कोई सुविधायें दी है और न ही मान्यता। इसके साथ ही, दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं स्थानान्तरण नीति, 2015[3] के अनुसार समुदाय के ज़्यादातर सदस्यों को पुनर्वास के लिए ''पात्र'' ही नहीं माना जाता है। आवासीय सुरक्षा/पट्टा के अभाव में जबरन बेदखली की कई घटनायें लगातार हो रही हैं जो इस समुदाय के मानवाधिकारों, जैसे उपयुक्त आवास के अधिकार, का उल्लंघन है। यह पूरे समुदाय, खासतौर से महिलाओं और बच्चों के लिये बड़ा खतरा है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत उपयुक्त आवास के अधिकार को मानवाधिकार के रुप में स्वीकार किया गया है जिसे भारत ने भी समर्थन दिया है। उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र (यू.एन./UN) के विशेष प्रतिवेदक ने उपयुक्त आवास को मानवाधिकार के रुप में परिभाषित करते हुये लिखा है कि – ''प्रत्येक महिला, पुरुष, युवा और बच्चे को एक सुरक्षित घर प्राप्त करने और उसे बनाये रखने का अधिकार प्राप्त है, ताकि वह अपने समुदाय में शांति और सम्मान के साथ जीवन जी सके।''[4] भारत के उच्चतम न्यायालय तथा दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत वर्णित जीवन जीने के मौलिक अधिकार के तहत उपयुक्त आवास के अधिकार को मानवाधिकार के रुप में स्वीकारा है। न्यायालयों ने राज्यों को यह निर्देश भी दिये हैं कि सभी नागरिकों को उपयुक्त आवास तथा आधारभूत सुविधायें जैसे पानी, भोजन, स्वास्थ्य, साफ–सफाई भी उपलब्ध कराई जाये।[5] दिल्ली में निवासरत गाड़िया लोहार समुदाय के लोगों की वर्तमान स्थिति से उनके मानवाधिकारों का उल्लंधन हो रहा है और यह आवश्यक है कि सरकार और इससे संबंधित प्राधिकरणों के द्वारा तुरंत कार्यवाही किया जाये।

1 गाड़िया लोहारों को महाराष्ट्र में 'गाड़िया लोहार', उत्तर प्रदेश में 'भुवारिया', हरियाणा में 'भुबारिया लोहार' और राजस्थान में 'गडुलिया' या 'धुरकुटिया' के नाम से जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए देखें: https://www.ancient-asia-journal.com/articles/10.5334/aa.12321

2 अधिक जानकारी के लिए देखें: https://zeenews.india.com/india/voices-of-the-dispossessed-story-of-gadia-lohars-in-delhi-2074980.html

3 देखें : https://www.hlrn.org.in/documents/Delhi_Relocation_Policy_2015_HINDI.pdf

4 अधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/HousingIndex.aspx

5 अधिक जानकारी के लिये देखें: https://www.hlrn.org.in/documents/Housing_Judgments_India.pdf

अध्याय 3

गाड़िया लोहार समुदाय की पृष्ठभूमि

डॉ. बालकृष्ण रैंके आयोग

भारत के घुमन्तु, अर्ध–घुमन्तु और विमुक्त जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के ड्राफ्ट सूची के अनुसार गाड़िया लोहार समुदाय को ''घुमन्तु जनजाति'' के रुप में स्वीकार किया गया है जो ऐतिहासिक रुप से वंचित और समाज के हाशिये पर रहने वाला समुदाय होने के कारण आवास, भूमि और रोजगार की सुविधाओं से वंचित रहे हैं। घुमन्तु, अर्ध–घुमन्तु और विमुक्त जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को सौंपे गये डॉ. बालकृष्ण रैंके आयोग की रिपोर्ट (2008) के अनुसार भारत के लगभग 89 प्रतिशत विमुक्त जनजातियों तथा 98 प्रतिशत घुमन्तु/अर्ध–घुमन्तु समुदायों के पास कोई जमीन नहीं है जबकि 11 प्रतिशत घुमन्तु समुदायों और 8 प्रतिशत विमुक्त जनजातियों का सार्वजनिक भूमि पर निवास है।[6] कमोवेश, इन परिवारों के 57 प्रतिशत लोग झुग्गी/अस्थाई संरचना वाले आवास में रहते हैं और अधिकांश लोग आवश्यक सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, स्वच्छता या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं।

जबरन बेदखली और घरों को उजाड़ना

भूमि, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जी रहे इस समुदाय की मुसीबत जबरन बेदखली के लगातार घटनाओं से और बढ़ जाती है। दिल्ली और आस–पास रह रहे गाड़िया लोहार समुदाय की बस्तियों को बिना किसी प्रक्रिया का पालन किये कई बार उजाड़ा गया है। उदाहरण के लिये, अगस्त 2017 में, मानसरोवर पार्क, दिल्ली के गाड़िया लोहारों के 62 परिवारों की बस्ती को बिना कोई सूचना, वैकल्पिक व्यवस्था या मुआवज़ा दिए उजाड़ दिया गया।[7]

सरकार द्वारा पुर्नवास के अभाव में, प्रभावित परिवार बिना उपयुक्त आवास, पानी, और स्वच्छता के बहुत बुरी दशा में उसी स्थान पर रहने को मजबूर हैं। आस–पास कोई शौचालय या स्नानागार न होने के कारण महिलायें खुले में पूरे कपड़े पहन कर स्नान करने के लिये बाध्य होती हैं जो उनके स्वास्थ्य, पानी, सुरक्षा, और निजता के मानवाधिकारों का खुला उल्लंधन है।

इसी प्रकार से, वर्ष 2018 के मई महीने की तपती गर्मी में सेक्टर–3, द्वारका के गाड़िया लोहार समुदाय के 15 घरों को तोड़ दिया गया जबकि नवम्बर व दिसम्बर 2018 की सर्दियों में वज़ीरपुर में गाड़िया लोहार के 22 परिवारों को जबरन उजाड़ दिया गया।[8] मार्च 2019 में, दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश (स्टे आर्डर) के बावजूद, ख्याला स्थिति गाड़िया लोहार बस्ती को उजाड़ने की धमकी दी गई।[9] आवास और भूमि अधिकार संगठन सहित सिविल सोसाईटी के समय से हस्तक्षेप के कारण इसे रोका जा सका।

6 अधिक जानकारी के लिए देखें : http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/NCDNT2008-v1%20(1).pdf
7 अधिक जानकारी के लिए देखें: https://www.hlrn.org.in/documents/Forced_Evictions_2017.pdf
8 अधिक जानकारी के लिये देखें: https://www.hlrn.org.in/documents/Forced_Evictions_2018.pdf
9 केस नम्बर: WP (C) 5213/2018, दिल्ली उच्च न्यायालय

उजाड़ने के इन अधिकांश मामलों में, न्यायालय के निर्देशों के बावजूद पीड़ित परिवारों का कहीं भी पुर्नवास नहीं किया गया है। सन् 2009 में, ''शहरी सौन्दर्यीकरण'' के नाम पर त्यागराज स्टेडियम, दिल्ली के नजदीक बसे गाड़िया लोहार बस्ती को बिना किसी सूचना या पुनर्वास के उजाड़ा गया जिससे वे बेघर हो गये और उनके व्यक्तिगत सम्पति को नुकसान पहुंचा। यह मामला न्यायालय में पहुंचा और '*सुदामा सिंह बनाम दिल्ली सरकार*'[10] के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2010 में एक उल्लेखनीय निर्णय दिया जिसमें गाड़िया लोहार समुदाय के लोगों सहित अन्य याचिकाकर्ताओं के उपयुक्त आवास संबंधी मानवाधिकार को मान्यता प्रदान किया गया। कोर्ट ने यह माना कि बेदखल किये गये गाड़िया लोहार परिवार, 40 वर्षो से दिल्ली में रह रहे थे तथा सरकार को यह निर्देश दिया कि उजाड़ने के चार महीने के अन्दर प्रभावित परिवारों के लिये उचित पुनर्वास की व्यवस्था करें और नीति बनायें। हालांकि इस निर्देश के 9 साल के बाद भी दिल्ली सरकार ने प्रभावित परिवारों का कोई पुनर्वास नहीं किया है और समुदाय के बहुत सारे सदस्य अन्य स्थानों पर जाकर बसने को मजबूर हुए हैं तथा अपने पारम्परिक व्यवसाय को छोड़कर मजदूरी करने को बाध्य हुए हैं। वे अभी भी आवास, पानी, स्वच्छता, तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में रहने को मजबूर हैं। इस केस में शामिल एक याचिकाकर्ता की त्रासदीपूर्ण मृत्यु भी हो गई, लेकिन राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेश के पालन के लिये न तो कोई कदम उठाया और न ही प्रभावित परिवारों को कोई सुविधा प्रदान किया है।

योजना और नीति

राष्ट्रीय और राज्यों की नीतियों में गाड़िया लोहार समुदायों को हमेशा अनदेखा किया गया है और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल से आज तक सभी सरकारों के द्वारा गाड़िया लोहार परिवारों से यह वादा किया जाता रहा है कि उन्हें भूमि और आवास दिया जायेगा। अक्टूबर 2003 में, श्री बंदारु दत्तात्रेय[11], शहरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के द्वारा ''गाड़िया लोहार पुनर्वास योजना'' के तहत मंगोलपुरी, पीतमपुरा और बुद्ध विहार के 34 गाड़िया लोहार परिवारों के लिये दुकान–सह–घर का उद्घाटन किया गया था। हालांकि, 16 साल के बाद भी अब तक ये घर गाड़िया लोहार परिवारों को आवंटित नहीं किये गये हैं।

राजस्थान में, गाड़िया लोहार समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिये सरकार ने एक विशेष योजना की शुरुआत की है। इसके अन्तर्गत व्यवसाय की जगह के साथ घर व कृषि और उद्योग के यंत्र–निर्माण के लिए कच्चा सामाग्री खरीदने के लिये इस समुदाय को आर्थिक सहायता भी दी जाती है।[12] हालांकि दिल्ली में इस प्रकार की कोई योजना कभी प्रस्तावित नहीं की गई।

गाड़िया लोहार समुदाय के लोग वंचित समुदाय के लिये तैयार की गई योजनाओं का लाभ लेने में भी असमर्थ रहे हैं क्योंकि न तो उनकी जाति की स्पष्टता है और न ही उनके पास जाति प्रमाण पत्र है। बहुत सारे घुमन्तु जनजातियों को ''अनुसूचित जनजाति'' का दर्जा प्राप्त है लेकिन अधिकतर राज्यों में गाड़िया लोहारों को ''अन्य पिछड़ी जाति'' (ओ.बी.सी./OBC) की श्रेणी में रखा गया है। राजस्थान में गाड़िया लोहारों को ''अति पिछड़े वर्ग'' (एम.बी.सी./MBC) में रखा गया है और सरकारी नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।[13] हालांकि दिल्ली में गाड़िया लोहारों को अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) की श्रेणी में रखा गया है लेकिन अत्यधिक वंचित होने के बावजूद भी इन्हें इस श्रेणी का लाभ नहीं मिला है।

10 केस नम्बरः WP (C) No. 8904/2009, 7735/2007, 7317/2009, 9246/2009, दिल्ली उच्च न्यायालय

11 अधिक जानकारी के लिये देखें: https://hindi.firstpost.com/special/gadiya-lohars-nomadic-tribes-facing-problem-in-availing-even-the-basic-amenities-in-delhi-ground-report-kp-151936.html

12 अधिक जानकारी के लिये देखें: http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/NCDNT2008-v1%20(1).pdf

13 अधिक जानकारी के लिये देखें: https://www.firstpost.com/india/rajasthan-govt-approves-1-quota-to-gujjars-four-other-communities-under-most-backward-classes-category-4649821.html

अध्याय 4

अध्ययन का उद्देश्य एवं प्रणाली

आवास और भूमि अधिकार संगठन पिछले कुछ वर्षो से दिल्ली में गाड़िया लोहार समुदाय के साथ विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से जुड़ा हुआ है और उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय का पता लगा कर उसे दूर करने के प्रयास के साथ–साथ इस समुदाय को उपयुक्त आवास, शिक्षा तक पहुंच बनाने और जबरन बेदखली से सुरक्षा करने में मदद कर रहा है। एच.एल.आर.एन. (HLRN) की मदद और सहयोग से, गाड़िया लोहार संघर्ष समिति, दिल्ली का गठन हुआ और 4 सितम्बर 2018 को शहर में पहली बार एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आवास, पहचान, रोजगार, शिक्षा, और जबरन बेदखली के विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ–साथ 7 दिसम्बर 2018 को इस समुदाय की एक बैठक आयोजित की गई जहां इस समुदाय के लोगों के बीच उन चुनौतियों पर चर्चा की गई जिसका सामना वे लगातार कर रहे हैं और एक विस्तृत ''मांग–पत्र'' तैयार कर केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ–साथ दिल्ली सरकार को भी दिया गया।

उपयुक्त आवास के मानवाधिकार की मांग को लेकर गाड़िया लोहार संघर्ष समिति द्वारा रैली का आयोजन

दिल्ली में गाड़िया लोहार बस्तियों के बारे में बारीकी से बताने के क्रम में, उनके जीवन जीने की दशा और भूमि व आवास संबंधी चुनौतियों को समझने के लिये एच.एल.आर.एन. (HLRN) ने उनकी बस्तियों का प्राथमिक सर्वे प्रस्तावित किया। यह अध्ययन गाड़िया लोहार समुदाय के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करके तैयार और संचालित किया गया जिसमें सर्वे और दस्तावेज़ीकरण सहित पूरी प्रक्रिया में वे सक्रियता से शामिल रहे हैं। प्रारंभ में समुदाय के लिये एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें आवास संबंधी उनके अधिकारों तथा

संबंधित कानून और नीतियों की जानकारी दी गई तथा सामूहिक रुप से इस सर्वे के उद्देश्य, लक्ष्य और अन्य बारीकियां तय की गई। इसके बाद चिन्हित 58 गाड़िया लोहार बस्तियों में फरवरी और मार्च 2019 के दौरान सामुदायिक बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें नागरिकों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर चर्चा की गई तथा गाड़िया लोहार संघर्ष समिति और एच.एल.आर.एन. (HLRN) के द्वारा संयुक्त रुप से तैयार प्रश्नावलियों को सामूहिक रुप से भरा गया। सर्वे और बैठकों का संचालन गाड़िया लोहार समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिलायें शामिल थीं।

इस प्राथमिक अध्ययन का उद्देश्य है कि दिल्ली में गाड़िया लोहार समुदाय से संबंधित जानकारी की कमी को पूरा किया जा सके तथा उनकी संस्कृति, इतिहास और रहने की स्थितियों से संबंधित व्यापक अज्ञानता को दूर किया जा सके। यह देखते हुये कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डुसिब/DUSIB) की बस्ती/झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर की सूची में गाड़िया लोहार की बहुत सारी बस्तियों की गणना नहीं है, इस स्वगणना और दस्तावेज़ीकरण के अभ्यास से राज्य सरकार की इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया है ताकि डुसिब (DUSIB) के द्वारा किये जा रहे सर्वे में छूट रही बस्तियों को शामिल कराया जा सके और दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सभी सर्वेक्षित नागरिकों को स्थाई आवास की सुविधा का लाभ मिल सके।

यह रिपोर्ट 58 गाड़िया लोहार बस्तियों में संचालित सर्वे यानि प्रश्नावलियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी तथा समुदाय के सदस्यों के साथ की गई समूह चर्चाओं से प्राप्त तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

फरवरी 2019 में आवास और भूमि अधिकार संगठन द्वारा गाड़िया लोहार सर्वे के लिये आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला

अध्याय 5

अध्ययन के मुख्य परिणाम

स्थान

दिल्ली में 58 से ज़्यादा गाड़िया लोहार बस्तियां हैं जिनकी अनुमानित जनसँख्या कम से कम 25,000 है।[14] सबसे बड़ी बस्तियां आदर्श गली, पालम (78 घर), नानी वाला बाग़, आज़ादपुर (70 घर), मानसरोवर पार्क (62 घर) तथा सराय रोहिल्ला (70 घर) में हैं। सर्वे में शामिल आधे से ज़्यादा बस्तियों में कम से कम 20 घर हैं।

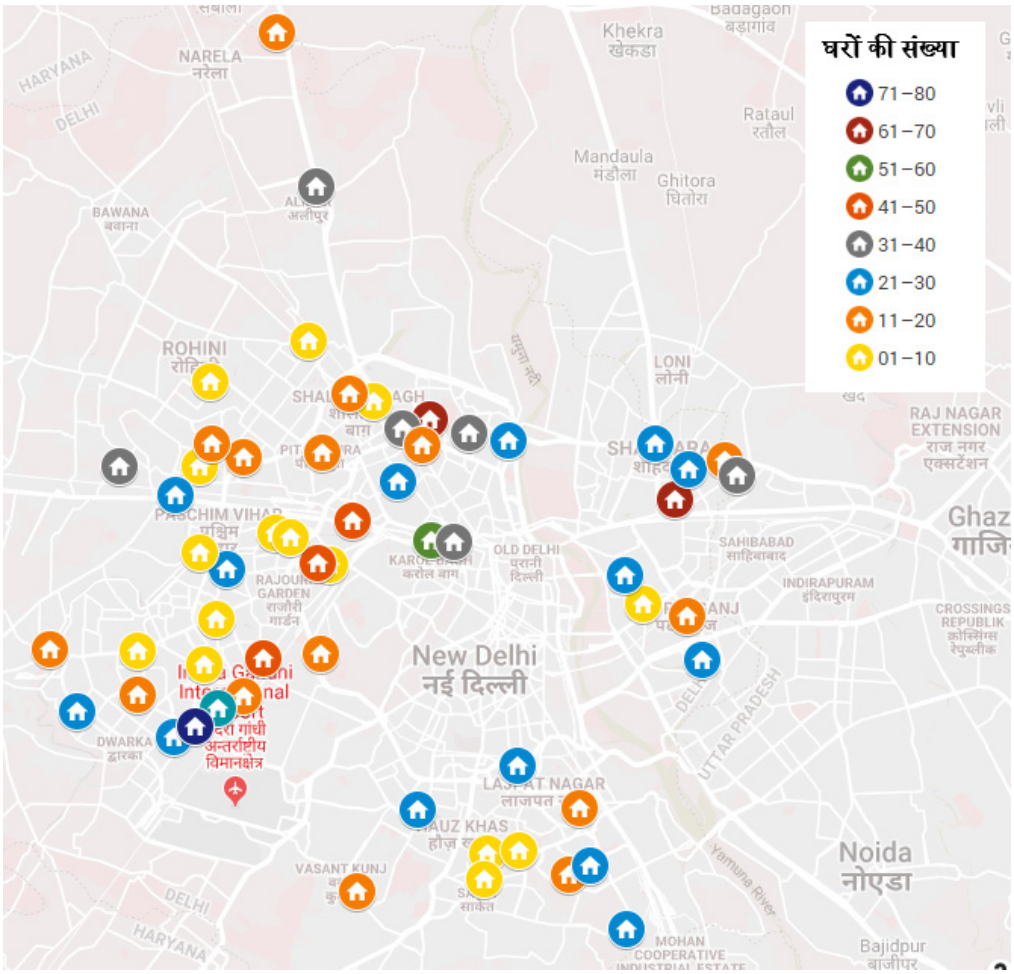

दिल्ली में सर्वे किये गये गाड़िया लोहार बस्तियों का स्थान

14 अनुमानतः गाड़िया लोहारों की लगभग 90 से अधिक बस्तियां दिल्ली एन.सी.आर. में हैं जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जुड़े हुये क्षेत्र शामिल हैं। इस अध्ययन में केवल दिल्ली में स्थित बस्तियों का सर्वे और दस्तावेज़ीकरण किया गया है।

गाड़िया लोहार बस्तियां केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों, जैसे दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी./MCD), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए./DDA), लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी./PWD), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डुसिब/DUSIB) तथा भारतीय रेलवे इत्यादि की जमीन पर बसी हुई हैं। '*अजय माकन बनाम भारत सरकार*'[15] के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बस्तियां चाहे जिस एजेंसी की जमीन पर बसी हों, उनका जबरन बेदखली तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि बस्ती को पर्याप्त नोटिस न दिया गया हो तथा वैकल्पिक आवास की व्यवस्था न की गयी हो।

बस्तियों की मान्यता

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के द्वारा दिल्ली के अधिकतर गाड़िया लोहार बस्तियों का न तो सर्वे किया गया है और न ही उन्हें मान्यता दी गई है जबकि ये लगभग 20 वर्ष या उससे भी अधिक समय से वहां रह रहे हैं। केवल आज़ादपुर बस टर्मिनल, किशनगंज, लाल गुंबद बस्ती, संजय बस्ती–तिमारपुर और सीमापुरी को डुसिब (DUSIB) द्वारा प्रकाशित झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की सूची में शामिल किया गया है। ज़्यादातर मामलों में, गाड़िया लोहारों के घर डुसिब (DUSIB) के द्वारा मान्यता प्राप्त बस्तियों के आस–पास बने हैं परन्तु इनकी बस्तियों को सरकारी सूची में शामिल नहीं किया गया है। अधिकतर गाड़िया लोहार बस्तियों को मान्यता न देने और इस समुदाय के लोगों को निवासी भी स्वीकार न करने के कारण ये लोग दिल्ली झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और स्थान्तरण नीति, 2015 के अन्तर्गत होने वाले पुनर्वास और स्थाई आवास के लिये 'अपात्र' की श्रेणी में हैं।

बस्तियों का प्रकार

गाड़िया लोहार बस्तियों के सभी घर जहां सर्वे किया गया, कच्चे हैं। लगभग 53 प्रतिशत (31) बस्तियां मिट्टी, छप्पर या निम्न गुणवत्ता वाले सामग्री से बनीं है जबकि 46 प्रतिशत (27) बस्तियों को मुख्यतः प्लास्टिक और तिरपाल से बनाया गया है। इस प्रकार के घर बहुत अधिक गर्मी और ठंड के दिनों में सुरक्षा नहीं दे पाते और बरसात के दिनों में ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

गोकलपुर, दिल्ली में गाड़िया लोहार बस्ती

बसने की अवधि

दिल्ली में गाड़िया लोहारों की अधिकतर बस्तियां कई दशकों से हैं। उदाहरण के लिये सराय रोहिल्ला में स्थित बस्ती लगभग 70 साल पुरानी है जबकि वज़ीरपुर की बस्ती 62 वर्ष पुरानी है। इसी तरह से, आज़ादपुर बस

15 केस नम्बरः WP (C) 11616 / 2015, दिल्ली उच्च न्यायालय

टर्मिनल, गीता कालोनी, किशनगंज और प्रेमनगर (कोटला) की बस्तियां लगभग 60 साल पहले अस्तित्व में आईं। दिल्ली में, गाड़िया लोहारों की अधिकांश बस्तियां लगभग 40 साल पुरानी है। कुछ बस्तियां जैसे ख्याला, आज़ादपुर (लालबाग़ मस्जिद के नजदीक), रोहिणी, नांगली डेरी, सईदगांव और मसूदपुर लगभग 20 साल पुरानी हैं।

'दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं स्थानान्तरण नीति, 2015' के अनुसार उन अनौपचारिक बस्तियों को, जो 1 जनवरी 2006 से पहले स्थपित हुई हैं, को बिना वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराये बिना हटाया नहीं जा सकता है तथा इन बस्तियों में जिन घरों का निर्माण 1 जनवरी 2015 से पहले हुआ है, उन्हें बिना पुनर्वास के उजाड़ा नहीं जा सकता है। सर्वे में शामिल सभी गाड़िया लोहार बस्तियां इस पैमाने पर खरी उतरती हैं।

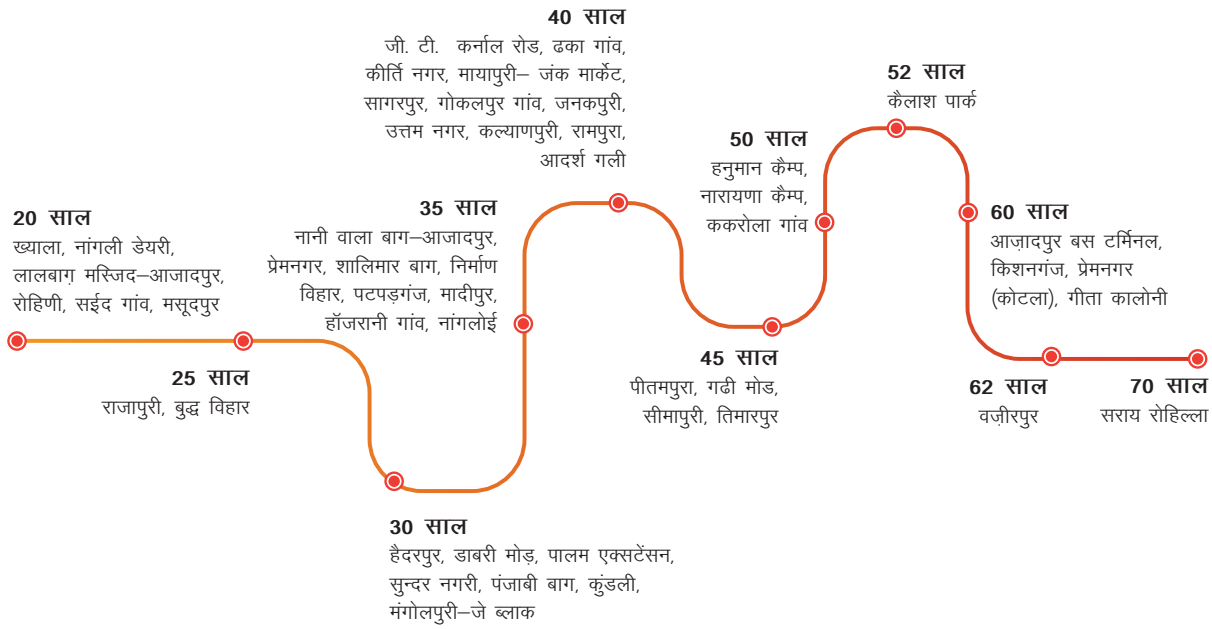

व्यवसाय

गाड़िया लोहार मुख्य रुप से कृषि व रसोई में उपयोग होने वाले, लोहे के औजार और बर्तन बना कर व बेच कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। उनकी अधिकांश बस्तियां सड़कों और फुटपाथों के किनारे स्थित हैं जिससे उनको अपना व्यवसाय करने और खरीददार ढूंढ़ने में आसानी होती है। गाड़िया लोहारों का पारम्परिक पेशा ऐसा है जिसमें आवास और काम करने का स्थान एक साथ होना जरुरी है। अतः उनके पुनर्वास में ऐसे घर की सुविधा होनी चाहिए जिसमें दुकान के लिये जगह हो।

दिल्ली की एक गाड़िया लोहार बस्ती में दुकान और घर

जबरन बेदखली

गाड़िया लोहार समुदाय के घर बार–बार उजाड़ने और जबरन बेदखली के कारण उनके जीवन जीने का अधिकार, आवास, शिक्षा, रोजगार/काम, भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और व्यक्ति व घर की सुरक्षा जैसे मानवाधिकारों का हनन होता है। गाड़िया लोहारों के 58 सर्वे किये गये बस्तियों में से 55 बस्तियों को जबरन बेदखली का सामना करना पड़ा है। उजाड़ने की यह प्रक्रिया वर्ष 1991 से लेकर अबतक निरन्तर जारी है। गीता कॉलोनी की बस्ती, जो 60 साल पहले बसी थी, उसे आखिरी बार 1991 में उजाड़ा गया था जबकि कल्याणपुरी बस्ती, जो 40 साल पहले बसी थी, उसे अंतिम बार 1992 में उजाड़ा गया था। वर्ष 2017 में, मानसरोवर पार्क में बेदखली अभियान के दौरान बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये 62 परिवारों के घर उजाड़ दिये गये। चिराग दिल्ली, कीर्ति नगर, नारायणा, जहांपनाह पार्क, राजापुरी, रोहिणी और वज़ीरपुर की बस्तियों में बेदखली की घटना 2018 में हुई थी। बहुत सारे गाड़िया लोहार परिवारों ने इन वर्षो के दौरान बार–बार बेदखली का अनुभव किया है।

	बस्ती का नाम	आखिरी बार जब बस्ती उजाड़ी (वर्ष)
1.	गीता कालोनी (ब्लॉक 14)	1991
2.	इन्दिरा कैम्प, कल्याणपुरी	1992
3.	किशनगंज (पुराने रोहतक रोड के नजदीक)	1998
4.	नन्द नगरी (ब्लॉक बी–3)	1999
5.	आज़ादपुर (लालबाग़ मस्जिद के पास)	2000
6.	ककरोला गांव	2000
7.	संजय बस्ती, तिमारपुर	2000
8.	निर्माण विहार	2001
9.	ढका गांव	2002
10.	प्रेमनगर, ओखला मोड़	2002
11.	जनकपुरी (ब्लॉक बी–2 बी)	2002
12.	सुन्दर नगरी (ब्लॉक एन)	2003
13.	मंगोल पुरी (ब्लॉक जे)	2003
14.	डाबरी मोड़	2005
15.	उत्तम नगर	2006
16.	पंजाबी बाग़ (क्लब रोड)	2006
17.	रामपुरा	2008
18.	मायापुरी (जंक बाजार के पास)	2009
19.	शालीमार बाग़ (रेलवे क्रांसिग के पास)	2009
20.	गढ़ी मोड़ (दुर्गा मंदिर के पास)	2009
21.	कोटला मुबारकपुर	2009
22.	आज़ादपुर बस टर्मिनल	2010
23.	सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, जी.टी. कर्नाल रोड़	2010
24.	सराय रोहिल्ला	2010
25.	प्रेम नगर, कोटला	2010
26.	लाल गुम्बद बस्ती, पंचशील पार्क	2010

	बस्ती का नाम	आखिरी बार जब बस्ती उजाड़ी (वर्ष)
27.	पटपड़गंज गांव	2010
28.	पीतमपुरा	2010
29.	हनुमान कैम्प, सेक्टर 3, आर.के.पुरम	2010
30.	हॉज़ रानी गांव	2010
31.	बवाना (सूरज पार्क के पास)	2010
32.	ख्याला जे.जे. कालोनी	2012
33.	हैदरपुर	2012
34.	सीमापुरी	2012
35.	सईद गांव	2012
36.	मंगलापुरी, पालम कालोनी	2014
37.	पालम एक्सटेंशन, सेक्टर–7, द्वारका	2014
38.	आदर्श गली, पालम	2014
39.	बुद्ध विहार	2014
40.	सागरपुर	2015
41.	गोकलपुर गांव	2015
42.	कुंडली (अम्बेदकर पार्क के पास)	2015
43.	आज़ादपुर (नानी वाला बाग़)	2016
44.	नांगली डेयरी	2016
45.	मंगोल पुरी (पत्थर बाजार के पास)	2016
46.	मानसरोवर पार्क	2017
47.	नारायणा गांव	2018
48.	लक्कड़ मंडी	2018
49.	जहांपनाह पार्क	2018
50.	राजापुरी, द्वारका	2018
51.	वज़ीरपुर गांव, अशोक विहार	2018
52.	रोहिणी (सेक्टर 24)	2018
53.	चिराग दिल्ली	2018

दिल्ली में गाड़िया लोहार बस्तियों के, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के द्वारा जबरन बेदखली के दौरान, किसी भी निर्धारित प्रक्रिया तथा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का, खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास आधारित बेदखली और विस्थापन[16] के बुनियादी सिद्धांतों और दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है। जबरन बेदखली से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशानिर्देश इस बात पर जोर देते हैं कि जबरन बेदखली, स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की सुरक्षा के लिए केवल ''विशेष परिस्थितियों'' में ही किया जा सकता है। बेदखली के विभिन्न चरणों में जैसे पहले, दौरान या बाद की स्थितियों में सभी प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिये प्रक्रियागत दिशानिर्देश भी बनाये हैं। दिल्ली के इन सभी जबरन बेदखली के मामलों में राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा न तो गाड़िया लोहार समुदाय के लोगों से विचार–विमर्श किया गया और न ही कोई पूर्व सूचना या किसी भी रुप में राहत, मुआवज़ा तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की गई। उपरोक्त उजाड़े गये बस्तियों में से किसी भी व्यक्ति को केन्द्र या राज्य सरकार की तरफ से वैकल्पिक आवास, मुआवज़ा या अन्य किसी भी प्रकार की सहायता अथवा पुनर्वास नहीं दिया गया है।[17] जबरन बेदखली और घरों को गिराये जाने से प्रभावित परिवारों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है जिसमें खासकर बच्चे, बूढ़े और महिलायें अधिक प्रभावित होती हैं। जबरन बेदखली अभियानों के दौरान परिवारों के घरेलू सामान को भी नुकसान पहुँचता है जिससे समुदाय के रोजगार और पारम्परिक पेशे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ–ही–साथ विद्यालयों की परीक्षा से पूर्व जब–जब बेदखली करायी गयी है तब–तब बच्चों की शिक्षा और उनकी लगातार पढ़ाई की व्यवस्था पर बहुत खराब असर पड़ा है।

> ''मेरे बस्ती को मेरे 10वीं की परीक्षा के ठीक पहले उजाड़ा गया। इस बेदखली के दौरान मेरी सारी किताबें बर्बाद हो गई । मैं अपने परिवार की देखभाल और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था में लग गई जिसके फलस्वरुप मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा और मेरी पढ़ाई बाधित हो गई। हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमें भी ठीक तरह से और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है।''
>
> **– ख्याला में रहने वाली एक महिला**

गाड़िया लोहार बस्तियों में, आवासीय सुरक्षा/पट्टा के अभाव में पुलिस सहित अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा बेदखली और प्रताड़ना की संभावना हमेशा बनी रहती है। सर्वे की गई बहुत सारी बस्तियों में, लोगों ने बताया कि उन्हें एम.सी.डी./MCD, पी.डब्ल्यू.डी./PWD, डी.डी.ए./DDA और पुलिस के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता है तथा आये दिन उनके घरों को गिराये जाने की धमकी दी जाती है।

पहचान का प्रमाण

सर्वे किये गये गाड़िया लोहारों की बस्तियों में ज़्यादातर लोगों के पास कोई न कोई पहचान–पत्र है। 97 प्रतिशत बस्तियों (56) में लोगों ने बताया कि उनके पास आधार कार्ड है, जबकि 84 प्रतिशत बस्तियों (49) में नागरिकों के पास वोटर कार्ड है। 55 प्रतिशत बस्तियों (32) के नागरिकों ने, उनके पास राशन कार्ड (जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य वितरण हेतु) होने की बात बताई। अधिकांश बस्तियों के लोगों ने बताया कि उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।

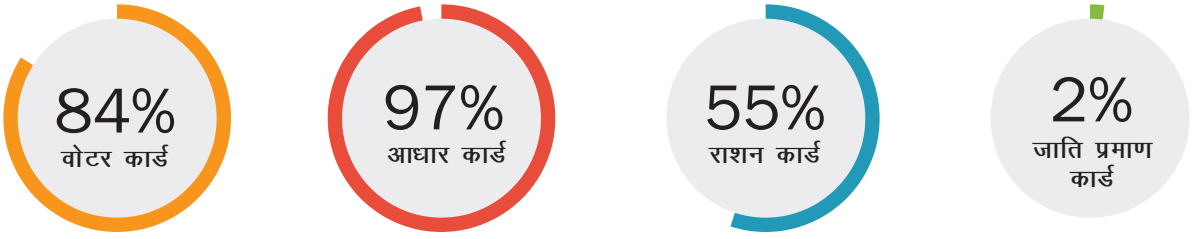

विभिन्न सरकारी दस्तावेजों के साथ बस्तियों का प्रतिशत

16 अधिक जानकारी के लिये देखें: http://www.ohchr.org/ Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf

17 अधिक जानकारी के लिये देखें: https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Evicted-they-are-yet-to-get-relief/articleshow/45367022.cms

बहुत सारे मामलों में, सरकार द्वारा जारी पहचान–पत्रों में नागरिक का वर्तमान पता नहीं लिखा हुआ है क्योंकि समुदाय के लोग रोजगार की खोज में तथा अक्सर जबरन बेदखली के कारण जल्दी–जल्दी स्थान बदलने को बाध्य होते हैं। उदाहरण के लिये, राजापुरी, द्वारका के निवासियों ने बताया कि पिछले 25 वर्षो में उनकी बस्ती को कई बार उजाड़ा गया है जिसके कारण वे कोई सरकारी दस्तावेज़ प्राप्त नही कर सके हैं। बस्ती के कुछ लोगों के पास दस्तावेज़ हैं पर उन पर पहले का पता दर्ज है जिसके कारण उन्हें अब किसी सरकारी योजना का लाभ और अधिकार नहीं मिल पाता है।

आधारभूत सुविधाओं तक पहुँच

संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों[18] की समिति के जनरल कॉमेंट 4, जिसे भारतीय न्यायालयों ने भी स्वीकार किया है, के अनुसार उचित आवास के मानवाधिकार का मतलब सिर्फ आश्रय (छत) की सुविधा देना ही नहीं है बल्कि पानी, भोजन, स्वच्छता, बिजली और स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं और आधारभूत संरचना तक पहुँच सुनिश्चित करना भी है। एच.एल.आर.एन. (HLRN) और गाड़िया लोहार संघर्ष समिति द्वारा सर्वे की गई अधिकांश गाड़िया लोहार बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं और सेवाओं की जबरदस्त कमी है। पानी और बिजली के अभाव में वहां के निवासियों को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लगभग 41 प्रतिशत बस्तियों (24) में स्वच्छ पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है जो 'जल के मानवाधिकार' का हनन है तथा इससे निवासियों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बना रहता है।

> "लगभग 30 घरों की बस्ती में सिर्फ चार या पांच सार्वजनिक नल लगे हैं। पानी की आपूर्ति दिन में सिर्फ एक बार होती है जिससे नलों पर भीड़ लग जाती है। हमारी बस्ती के आधे परिवारों तक पानी नहीं पहुँच पाता है।"
>
> **– मंगलापुरी, पालम कालोनी की गाड़िया लोहार बस्ती की निवासी**

उसी प्रकार से, सर्वे किये गये लगभग 22 प्रतिशत बस्तियों (13) में बिजली की सुविधा नहीं है। नारायणा बस्ती के निवासियों की यह शिकायत है कि वे 50 वर्षो से ज़्यादा समय से वहां बसे हैं लेकिन आज तक उन्हें बिजली का कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों में 'बिजली के अधिकार' को आवास के अधिकार का हिस्सा बताया गया है तथा स्वामित्व का प्रकार चाहे जैसा भी हो, बिजली प्रत्येक गरीब और जरुरतमंद लोगों तक पहुँचना चाहिये।[19] बहुत सारी बस्तियों में, जैसे शालिमार बाग़ में, निवासियों को इस आधार पर बिजली कनेक्शन से वंचित किया गया है कि उनके घर अस्थाई (कच्चे) हैं। इसके अलावा 61 प्रतिशत बस्तियों (35) के आस–पास सरकारी राशन की दुकानें नहीं हैं तथा लगभग आधी (28) बस्तियों में कचड़ा फेकने की कोई सुविधा नहीं है।

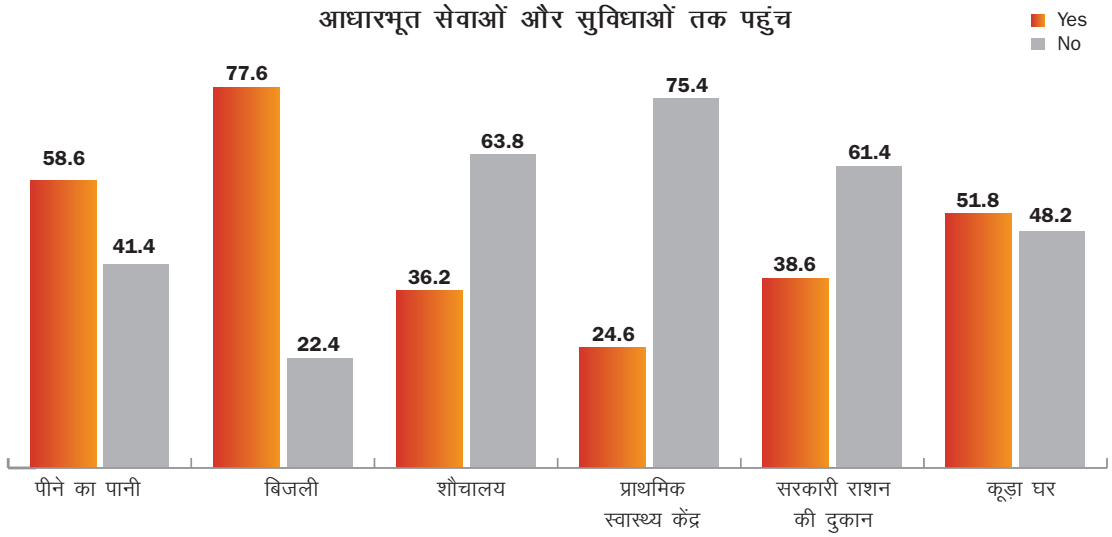

आधारभूत सेवाओं और सुविधाओं के साथ बस्तियों का प्रतिशत

18 अधिक जानकारी के लिये देखें: http://hlrn.org.in/documents/CESCR_General_Comment_4.pdf

19 अधिक जानकारी के लिये देखें: https://www.hlrn.org.in/documents/Housing_Judgments_India.pdf

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी./PHC) का न होना एक अन्य महत्वपूर्ण चिन्ता का विषय है। सर्वे की गई 75 प्रतिशत बस्तियों (41) के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पंहुॅच मुश्किल है। इसका प्रभाव यह होता है कि महिलाओं को गर्भावस्था और बच्चों को जन्म देने के समय बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तथा बच्चों के टीकाकरण के लिये लम्बी दूरी तय करना पड़ता है।

गाड़िया लोहार बस्तियों की वर्तमान जीवन जीने की स्थिति में वहां के निवासियों के न सिर्फ उपयुक्त आवास के मानवाधिकार का उल्लंधन हो रहा है बल्कि पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और भोजन संबंधी मानवाधिकारों के साथ–साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन जीने के अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है।

स्वच्छता

आवास और भूमि अधिकार संगठन (एच.एल.आर.एन./HLRN) और गाड़िया लोहार संघर्ष समिति के द्वारा किये गए सर्वे के दौरान शौचालय और उचित स्वच्छता सुविधाओं का न होना एक बहुत बड़ी चुनौती के रुप में सामने आया। सर्वे किये गये लगभग 64 प्रतिशत (37) बस्तियों के निवासियों ने बताया कि शौचालय का अभाव सबसे बड़ी समस्या है, खासतौर से महिलाओं के लिये और भारतीय संविधान के अन्तर्गत हमें दिये गये सम्मान और निजता के अधिकार का हनन है। शौचालय का अभाव महिलाओं की सुरक्षा को बुरी तरह प्रभावित करता है जो शौच के लिये खुले में जाती हैं, विशेष रुप से रात में। इससे यौन एवं लिंग आधारित हिंसा व शोषण का खतरा भी बढ़ ज़ाता है। कइ जगहों पर, जहां सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध है, वे उपयोग शुल्क देकर केवल दिन में ही उपयोग के लिये उपलब्ध हैं, रात में यहां के निवासियों के लिये यह उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिये, मंगलापुरी, पालम कालोनी के निवासियों ने शिकायत किया कि जितनी बार वे शौचालय का उपयोग करते हैं उनसे प्रति व्यक्ति 5 रुपये शुल्क वसूला जाता है जो उनके लिये आर्थिक रुप से भार है। यह भी स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी मानवाधिकारों का हनन है।

> ''हमारे क्षेत्र में कोई शौचालय नहीं है जिसके कारण हम खुले में शौच करने के लिये मजबूर हैं। यह बहुत शर्मिंदगी भरी है और हमारे सम्मान, आत्म–विश्वास और निजता को बुरी तरह प्रभावित करता है।''
>
> **– नानी वाला बाग़, आज़ादपुर में गाड़िया लोहार बस्ती की एक महिला**

शिक्षा

लगभग 78 प्रतिशत (45) गाड़िया लोहार बस्तियों में समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस./ICDS) सेन्टर या आंगनवाड़ी उपलब्ध नहीं हैं, जहां शिशु और बच्चों को पोषक आहार और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार से, 44 प्रतिशत (25) गाड़िया लोहार बस्तियों में स्कूल नहीं है जिससे बच्चों के शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार का उल्लंधन होता है। साथ ही, जबरन बेदखली से बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित होती है। जबरन बेदखली के दौरान अक्सर उनकी किताबें, स्कूल ड्रेस तथा विद्यालय संबंधी अन्य सामग्री बर्बाद होते हैं जिससे उन्हें स्कूल छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ता है। वर्ष 2017 में, मानसरोवर पार्क में गाड़िया लोहारों के घरों को ठीक उस समय उजाड़ा गया जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली थी जिससे पीड़ित बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाफल बुरी तरह प्रभावित हुई। इस दौरान बहुत सारे बच्चों को स्कूल छोड़ना भी पड़ा।

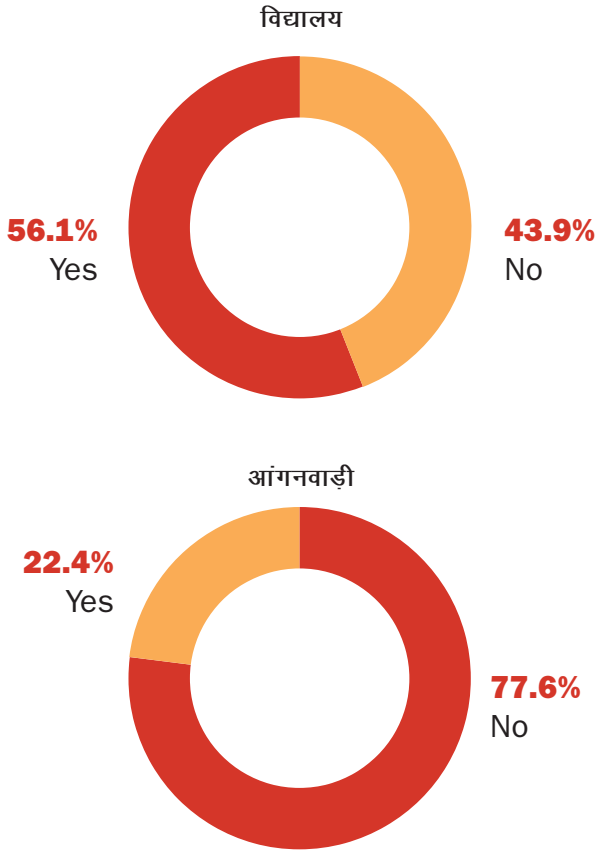

"हमारे क्षेत्र में बच्चों के लिये कोई स्कूल नहीं है और जो एक स्कूल है वह भी हमारी बस्ती से बहुत दूर है। वह स्कूल ऐसी जगह पर है जो बच्चों के लिये सुरक्षित नहीं है। एक बच्चे को चाकू मार दिया गया था जिससे माता–पिता बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। इससे बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित है।"

– **सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, जी.टी.कर्नाल रोड में गाड़िया लोहार बस्ती का एक निवासी**

अध्याय 6

सुझाव और अनुशंसा

आवास और भूमि अधिकार संगठन (एच.एल.आर.एन./HLRN) द्वारा किये गये इस प्राथमिक अध्ययन में दिल्ली के गाड़िया लोहार समुदाय के रहन–सहन की बदतर अवस्था सामने आई है और भारत के संविधान तथा भारत द्वारा मान्य अन्तराष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत उन्हें प्रदान किये गये मानवाधिकारों का खुला उल्लंधन भी सामने आया है। इस आधार पर एच.एल.आर.एन. (HLRN) केन्द्र और राज्य सरकारों के लिये निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करता है ताकि गाड़िया लोहारों पर जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे ठीक किया जा सके, उनके रहने की स्थितियों को सुधारा जा सके और उनके आवास संबंधी मानवाधिकारों, जो कि समुचित जीवन स्तर के मानवाधिकार का अंग है, के साथ–साथ अन्य मानवाधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके।

जबरन बेदखली पर रोक

गाड़िया लोहार समुदाय जो कि दिल्ली और आस–पास के क्षेत्रों में कई दशकों से निवास करता है, हमेशा ही जबरन बेदखली के भय में जीवन जी रहे हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, जबरन बेदखली से बहुत सारे मानवाधिकारों का हनन होता है और प्रभावित जनसंख्या पर लम्बे समय तक कुप्रभाव रहता है। इससे बच्चे, महिलायें, बूढ़े, लम्बी और मानसिक बिमारियों से प्रभावित लोग तथा विकलांग जन सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र (यू.एन./UN) के विशेष प्रतिवेदक ने अपनी इंडिया रिपोर्ट[20] में भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह पूरे देश में जबरन बेदखली पर तत्काल रोक लगायें। अतः सरकार को चाहिये कि वह हर कीमत पर जबरन बेदखली पर रोक लगायें और सुनिश्चित करें कि जबरन बेदखली केवल ''विशेष परिस्थितियों'' में ही हो, वह भी तब जबकि समुदाय के लोगों के साथ बात करने के उपरान्त समय पर नोटिस दिया गया हो तथा अन्य सभी विकल्पों पर विचार कर लिया गया हो। इस परिप्रेक्ष्य में, सरकार को चाहिये कि वह संयुक्त राष्ट्र के विकास–आधारित बेदखली और विस्थापन के आधारभूत सिद्धान्तों और मार्गदर्शिका[21] का पालन और क्रियान्वयन करे क्योंकि इसमें बेदखली के पहले, दौरान और बाद में पालन किये जाने वाले व्यवहारिक मानकों का साफ–साफ वर्णन किया गया है।

आवास संबंधी अधिकारों को मान्यता देने वाले न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः क्रियान्वयन होना चाहिये क्योंकि उनमें जबरन बेदखली के मामलों में विधिवत प्रक्रियाओं के पालन तथा समुचित पुनर्वास का आदेश दिया गया है। इसके अलावा *'अजय माकन बनाम भारत सरकार'* के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन किया जाना चाहिये तथा बिना उचित प्रक्रिया, जिसमें पर्याप्त नोटिस तथा वैकल्पिक आवास की व्यवस्था शामिल है, का पालन किये बेदखली नहीं की जानी चाहिये। साथ ही, बेदखली को रोकने के लिये कोर्ट के स्थगन आदेशों का आदर किया जाना चाहिये और अधिकारियों को चाहिये कि वे घरों को तोड़ने की धमकी न दें तथा निवासियों को प्रताड़ित न करें। जिन मामलों में न्यायालय ने पुनर्वास उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हों, उदाहरण के लिये, *'सुदामा सिंह बनाम भारत सरकार'* के मामले में, उनमें आदेश के पालन के लिये तुरत कार्यवाही होनी चाहिये ताकि प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।

20 अधिक जानकारी के लिये देखें: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/51/Add.1

21 अधिक जानकारी के लिये देखें: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf

उपयुक्त आवास का प्रावधान

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत उपयुक्त आवास के मानवाधिकार की गारंटी दी गई है जिसे भारत भी स्वीकार करता है। भारत के उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के अनेक निर्णयों में आवास के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिये गये जीवन जीने के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग माना गया है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार सभी व्यक्तियों, समूहों और समुदायों के लिये समुचित आवास सुनिश्चित करने की दिशा में उचित कदम उठाये। गाड़िया लोहार समुदाय निहायत ही खराब स्थिति में ''अनौपचारिक बस्तियों'' में दशकों से बिना किसी आवासीय सुरक्षा/पट्टा और आधारभूत सुविधाओं के बदतर जीवन जी रहे हैं। सरकार को चाहिये कि निम्न बिन्दुओं पर विचार करते हुए इस समुदाय को प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त आवास उपलब्ध करायेः–

गाड़िया लोहार समुदाय के सभी बस्तियों का डुसिब (DUSIB) के द्वारा सर्वे किया जाना चाहिये ताकि उनके पुनर्वास की पात्रता सुनिश्चित की जा सके। अधिकांश मामलों में, गाड़िया लोहारों की बस्तियां जबरन बेदखली, व्यवसाय की जरुरतों तथा बड़ी बस्तियों में स्थान की कमी के कारण यहां–वहां बिखरी हुई हैं। अधिकारियों द्वारा इस स्थिति को समझना चाहिये और छोटी–छोटी बस्तियों का भी सर्वे किया जाना चाहिये । बस्तियों के छोटे होने के आधार पर ही उन्हें आवास के अधिकार से वंचित नहीं कर देना चाहिये।

बहुत सारे गाड़िया लोहार बस्तियों को डुसिब (DUSIB) के द्वारा किये गये झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर सर्वे की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरुप इसकी संभावना है कि वे दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई मुख्यमंत्री आवास योजना (सी.एम.ए.वाई./CMAY)–'जहां झुग्गी, वहीं मकान'– के अन्तर्गत कराये जा रहे आंकलन सर्वे में छूट सकते हैं। यह योजना निम्न आय के बस्ती निवासियों को अपने स्थान पर ही पुनर्वासित करने के लिये चलाई जानी है। झुग्गी झोपड़ी सूची में अब तक शामिल नहीं की गई गाड़िया लोहार बस्तियों का सर्वे किया जाना चाहिये ताकि इस योजना का लाभ लेने से कोई भी छूट न जाये।

- जहां–जहां भी जमीन उपलब्ध है वहां अपने स्थान पर ही पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि समुदाय के सदस्यों को शहर के पास रहने की सुविधा बनी रहे और उनका रोजगार प्रभावित न हो। इससे उनके नियमित जीवन में कोई बाधा खड़ी नहीं होगी और जीवनयापन, आय, और शिक्षा की कोई हानि नहीं होगी। इसका मतलब यह भी है कि गाड़िया लोहार परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जाये जिससे समुचित आवास तक उनकी पहुंच बन सके या जहां वे रहते हैं वहीं पर अपना घर बना सकें। यदि उन्हें अपने स्थान से हटाने की जरुरत पड़े तो यह समुदाय के सहयोग से ही किया जाये। ऐसी परिस्थिति में समुदाय के लोगों से जानकारी पर आधारित सहमति पूर्व में ही ली जाये। स्थानान्तरण की अवस्था में 'वेंडिंग ज़ोन' की व्यवस्था हो तथा शहर में इतनी उचित जगह दी जाये ताकि वे अपना व्यवसाय कर सकें। साथ ही ऐसी व्यवस्था हो कि वे व्यवसाय की जगह तक आसानी से यात्रा कर सकें या आवश्यकतानुसार उन्हें आवागमन के लिये सब्सिडी भी दी जाये। इन प्रावधानों के बगैर यदि उन्हें बापरोला जैसे दूर के स्थानों पर बसाया जाता है तो इससे उनका रोजगार/काम का अधिकार बुरी तरह से बाधित होता है और इससे उनकी गरीबी और बढ़ सकती है और वे हाशिये पर आ सकते हैं। अपनी कम आय के कारण वे दिल्ली के बाहरी इलाकों में स्थित स्थानान्तरण स्थल से यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक–सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों की समिति द्वारा प्रतिपादित वक्तव्य (4) के अनुसार सरकार द्वारा दी जाने वाली आवासीय व्यवस्था ''उपयुक्त'' होनी चाहिये। इसके अनुसार किसी भी परिस्थितियों में ''उपयुक्त'' आवासीय व्यवस्था का तात्पर्य है कि इसके अन्तर्गत स्वामित्व का कानूनी अधिकार, सभी आवश्यक और आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता, खरीदने की क्षमता के अन्दर, रहने योग्य, सुलभता से पहुंचने योग्य, उचित स्थान पर और सांस्कृतिक माहौल के अनुरुप होना चाहिये।

- सरकार अपने द्वारा दिये गये आवास या समुदाय द्वारा बनाये गये आवास के उपर स्वामित्व की कानूनी सुरक्षा जरुर प्रदान करे।[22] व्यक्तिगत या सामूहिक स्वामित्व का स्वरुप समुदाय की जरुरतों और मांग के अनुसार तथा सदस्यों की खुली, सूचना पर आधारित और पूर्व सहमति के आधार पर तय किया जाना चाहिये।

22 अधिक जानकारी के लिये देखें: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/25/54

- गाड़िया लोहारों के पारम्परिक व्यवसाय को देखते हुये उनके लिये बनाये जाने वाले नये आवास में व्यवसाय करने तथा दुकान चलाने के लिये पर्याप्त जगह होनी चाहिये। गाड़िया लोहार, लोहे के बर्तन, औजार तथा अन्य सामानों के निर्माण के लिये जाने जाते हैं और यह उनकी सांस्कृतिक पहचान का आवश्यक हिस्सा है।
- पहले की सरकारों द्वारा पीतमपुरा, बुद्ध विहार और मंगोलपुरी में 'गाड़िया लोहार पुनर्वास योजना' के अन्तर्गत बनाये गये घर, जो 16 साल बीत जाने के बावजूद भी प्रशासनिक कारणों से अभी तक आवंटित नहीं हुए हैं, उन्हें सुरक्षा, गुणवत्ता और रहने लायक स्थिति की जांच करने के बाद समुदाय के इस्तेमाल के लिये आवंटित कर देना चाहिये।

उपयुक्त आवास के अंग

आवास उपयुक्त होने के लिए, कम से कम, निम्नलिखित तत्वों को शामिल करना चाहिए।

- आवासीय सुरक्षा/पट्टा
- सेवाओं की उपलब्धता
- सामर्थ्य
- पहुँच/सुलभता
- निवास करने योग्य
- उचित स्थान/अवस्थिति
- सांस्कृतिक उपयुक्तता
- भौतिक सुरक्षा
- सहभागिता और जानकारी
- भूमि, पानी तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता
- बेदखली, क्षति और विनाश से मुक्ति
- पुनर्वास, क्षतिपूर्ति, एवं मुआवज़ा
- लौटने का अधिकार
- चिकित्सा तक पहुँच
- शिक्षा एवं
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा से आज़ादी

आवश्यक सेवाओं का प्रावधान

स्वामित्व की किसी भी अवस्था और स्थिति में, गाड़िया लोहार समुदाय के सभी सदस्यों को आवश्यक सेवायें जैसे साफ पेयजल, बिजली और स्वच्छता की सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये। इसके अलावा, राज्य के द्वारा यह प्रयास होना चाहिये कि समुदाय की पहुँच शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक भी हो।

गाड़िया लोहार बस्तियों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण होना चाहिये ताकि स्वच्छता, निजता और सम्मान के मानवाधिकार का उल्लंघन न हो तथा अभी खुले में शौच जाने और नहाने को बाध्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जहां सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध है वहां यह निर्देश दिया जाना चाहिये कि वे गाड़िया लोहार समुदायों से कोई फीस न लें और रात में भी शौचालय को खुला रखें। जब तक कि स्थाई शौचायल और स्नानागार न बन जाये, तब तक जहां आवश्यक हो, वहां अस्थाई तौर पर तुरत पूर्व निर्मित व चलित शौचालय रखा जाना चाहिये। समुदाय को शौचालय बनाने के लिये आर्थिक मदद भी दिया जाना चाहिये।

उपयुक्त जाति प्रमाण पत्र का प्रावधान

विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध–घुमन्तु जनजाति के राष्ट्रीय आयोग की प्रारुप सूची के अनुसार गाड़िया लोहार समुदाय को 'घुमन्तु जनजाति' के रुप में स्वीकार किया गया है।[23] हालाकि इस समुदाय को प्रत्येक राज्य में अलग–अलग जाति की श्रेणी में रखा गया है। वंचित समूह का अंग होने के बावजूद इस समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है जिसके कारण वंचित समूहों के लिये बनाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ भी ये नहीं ले पाते हैं।

23 भारत के विमुक्त जनजाति, घुमन्तु जनजाति और अर्ध–घुमन्तु जनजाति के राष्ट्रीय आयोग की प्रारुप सूची। अधिक जानकारी के लिये देखें: http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/Draft%20List%20of%20Denotified%20Tribes%20for%20Mail.pdf

''अति पिछड़े वर्ग'' में समावेश

राजस्थान में गाड़िया लोहार समुदाय को ''अति पिछड़े वर्ग'' की श्रेणी में रखा गया है और सरकारी नौकरियों में ''अन्य पिछड़े वर्ग'' (O.B.C) के लिये निर्धारित एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिया गया है। उसी प्रकार से, दिल्ली सहित अन्य राज्य सरकारों के द्वारा इस समुदाय के सदस्यों को ''अति पिछड़े वर्ग''(M.B.C) की श्रेणी प्रदान किया जाना चाहिये और सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण, कम से कम एक प्रतिशत, देना चाहिये। यह इस समुदाय की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मददगार होगा।

बच्चों के लिये शिक्षा तक पहुँच

गाड़िया लोहार बस्तियों में आंगनवाड़ी (ICDS) सेन्टर को स्थापित करना आवश्यक है ताकि बच्चों को पोषक आहार और स्कूल–पूर्व शिक्षा प्राप्त हो सके। गाड़िया लोहार समुदाय के बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने में दिक्कत होती है क्योंकि दशकों तक दिल्ली में बसे होने के बावजूद उचित दस्तावेज और निवास–प्रमाण के अभाव में उन्हें स्कूल और कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जाता। साथ ही, जबरन बेदखली के लगातार खतरे से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और शिक्षा के उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है। सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाना चाहिये ताकि इस समुदाय के बच्चों को स्कूलों में नामांकन कराने में रुकावट न हो और यह भी सुनिश्चित करें कि जबरन बेदखली की घटनायें न हों ताकि बच्चों की शिक्षा में रुकावट न हो।

उन बच्चों के लिये जो बेदखली के शिकार हुए हैं जिसके फलस्वरुप उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा है, सरकार को यह चाहिये कि वह प्रयास करे कि उन बच्चों को दुबारा से स्कूलों में दाखिला मिले और स्कूल ड्रेस, जूते और किताबों की सहायता उपलब्ध हो। ऐसे बच्चों का एक सर्वे कराकर उचित कदम उठाया जाना चाहिये ताकि शिक्षा का उनका अधिकार पुनः दिलाया जा सके।

कौशल विकास, प्रशिक्षण, और रोजगार के अवसर

शिक्षा की कमी, उनके पारम्परिक पेशे की मांग में कमी और अन्य तरह से रोजगार के लिये विकल्प की कमी के कारण गाड़िया लोहार समुदाय में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस समुदाय के सदस्यों को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधायें प्राप्त हों ताकि वे अपने लिये अन्य तरह के रोजगार के अवसरों की तलाश कर सकें। साथ ही, सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण से इस समुदाय को बेरोजगारी, गरीबी और लगातार अलग–थलग पड़े रहने की स्थिति से निजात मिलेगा।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं हिफाजत

गाड़िया लोहार समुदाय की महिलायें सड़कों एवं गलियों में लगातार प्रताड़ना का शिकार होती हैं तथा उन्हें अपनी बस्तियों में स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में खुले में स्नान करने के लिये बाध्य होना पड़ता है। साथ ही, समुदाय के बच्चों के खेलने के लिये सुरक्षित स्थानों की कमी से उनके सम्पूर्ण विकास पर असर पड़ता है। पर्याप्त आवास, पर्याप्त स्वच्छता और बच्चों के खेलने के लिये सुरक्षित जगह की उपलब्धता से समुदाय की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और हिफाजत को बढ़ावा मिलेगा।

सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान

सरकार को चाहिये कि गाड़िया लोहार समुदाय के ऐतिहासिक पिछड़ेपन को देखते हुये उन्हें सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं का लाभ प्रदान करे। इसमें समुदाय के उन लोगों के लिये जो खुद से जीविकोपार्जन अर्जित करने में असमर्थ हैं उनके लिये विधवा पेंशन, बृद्धावस्था पेंशन, और विकलांग पेंशन जैसे आर्थिक सहायता को भी शामिल किया जाना चाहिये।

गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन

गाड़िया लोहार समुदाय के साथ हुये ऐतिहासिक अन्याय का आंकलन कर उनमें सुधार के उद्देश्य से सरकार को तुरंत गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन करना चाहिये। यह बोर्ड समुदाय के लोगों के लिये कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों का नियोजन करे तथा यह सुनिश्चित करे कि सरकारी फंड और योजनाओं का इस समुदाय के सदस्यों के हित में समुचित उपयोग किया जाये।

अध्याय 7

निष्कर्ष

दिल्ली में गाड़िया लोहार समुदाय अनौपचारिक बस्तियों में, बिना पर्याप्त आवास और पानी, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं के कई दशकों से रहता आ रहा है। समुदाय के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय का दर्द और गहरा हो जाता है जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत दिये गये उनके मानवाधिकारों जैसे जीवन जीने और आवास के अधिकार का खुला उल्लंघन होता है। मूलभूत सुविधाओं जैसे शौचालयों और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से बच्चों और महिलाओं का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उनके निजता, सुरक्षा, सम्मान, और हिफाजत जैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आंगनवाड़ी व स्कूल का अभाव, जबरन बेदखली, और भेद–भाव के कारण बच्चों को शिक्षा के मानवाधिकार से वंचित होना पड़ा है। समुदाय के अधिकांश सदस्यों को 'अन्य पिछड़ी जाति' के लिये बनी योजनाओं और नीतियों का फायदा नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के समय से ही विभिन्न सरकारों द्वारा किये गये वादों के बावजूद योजनाओं के खराब क्रियान्वयन और सरकारों की लगातार उदासीनता के कारण यह समुदाय हाशिये पर ढकेला जाता रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारों को चाहिये कि वे विशेष कदम उठा कर तत्काल प्रभाव से इस समुदाय को और वंचित बनाये जाने से रोकें।

आवास और भूमि अधिकार संगठन (एच.एल.आर.एन./HLRN) यह आशा करता है कि इस अध्ययन के निष्कर्षों और सुझावों पर दिल्ली की सरकार तत्परता के साथ ध्यान देगी और उनपर क्रियान्वयन करेगी ताकि शहर का समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके और सबसे वंचित समुदाय के हितों की रक्षा हो सके। ऐसा करने से भारत सरकार अपने अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारियों, जिसमें 'युनिवर्सल पिर्योडिक रिव्यू'[24] में वर्णित सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है, की पूर्ति करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधी अपने वादे को पूरा कर सकेगी, जिसमें कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक विकास के अवसरों में 'कोई भी छूट न जाये'।

नानी वाला बाग, आजादपुर, दिल्ली में गाड़िया लोहार बस्ती

24 अधिक जानकारी के लिए देखें: https://www.hlrn.org.in/documents/Housing_Land_Rights_India_UPR3_2018.pdf

संलग्नक 1

दिल्ली में सर्वेक्षण किये गये गाड़िया लोहार बस्तियों की सूची

क्र.	बस्ती का नाम	घरों की संख्या
1.	आदर्श गली, पालम	78
2.	आज़ादपुर (नानी वाला बाग़)	70
3.	आज़ादपुर (लालबाग़ मस्जिद के पास)	12
4.	आज़ादपुर बस टर्मिनल	40
5.	बवाना (सूरज पार्क के पास, बादली औद्योगिक क्षेत्र के सामने)	4
6.	बुद्ध विहार (शनिधाम के पास, जगत चौक)	18
7.	सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, जी.टी.कर्नाल रोड	32
8.	चिराग दिल्ली	7
9.	डाबरी मोड़	6
10.	ढका गांव	32
11.	गढ़ी (दुर्गा मंदिर के पास)	12
12.	गीता कालोनी (ब्लॉक–14)	22
13.	गोकलपुर गांव	25
14.	गोविंदपुरी (रविदास मार्ग)	25
15.	हैदरपुर गांव (एम.सी.डी. आयुर्वेदिक अस्पताल के पास)	12
16.	हनुमान कैम्प, सेक्टर–3, आर.के.पुरम	26
17.	हॉज़ रानी गांव	7
18.	इन्दिरा कैम्प, कल्याणपुरी	30
19.	जहांपनाह पार्क	15
20.	जनकपुरी (ब्लॉक–बी–2 बी)	6
21.	ककरोला गांव	25
22.	ख्याला जे.जे. कालोनी	25
23.	कीर्ति नगर (लक्कड़ मंदिर)	3
24.	किशनगंज (पुरानी रोहतक रोड के पास)	31
25.	कोटला मुबारकपुर	28
26.	कुंडली (अंबेदकर पार्क के पास)	12
27.	लाल गुंबद बस्ती, पंचशील पार्क	4
28.	मादीपुर, पश्चिम विहार (मादीपुर पुलिस स्टेशन के पास)	10
29.	मंगलापुरी, पालम कालोनी	30
30.	मंगलापुरी (ब्लॉक–जे)	4
31.	मंगोलपुरी (पत्थर बाजार के पास)	19
32.	मानसरोवर पार्क	62
33.	मसूदपुर गांव (ब्लॉक–सी 3)	18
34.	मायापुरी (जंक बाजार के पास)	41

क्र	बस्ती का नाम	घरों की संख्या
35.	मोतीनगर (कैलाश पार्क)	45
36.	नन्द नगरी (ब्लॉक–बी 3)	21
37.	नांगली डेयरी	20
38.	नांगलोई (कैम्प नम्बर 3 के पास)	29
39.	नारायणा गांव	13
40.	निर्माण विहार (राधु पैलेस के पास)	10
41.	पालम एक्सटेंशन, सेक्टर –7, द्वारका	24
42.	पटपड़गंज गांव	16
43.	पीतमपुरा	13
44	प्रेमनगर, कोटला	25
45.	प्रेमनगर, ओखला मोड़	35
46.	पंजाबी बाग़ (क्लब रोड़)	6
47.	राजापुरी, द्वारका	15
48.	रामपुरा	41
49.	रोहिणी (सेक्टर 24)	3
50.	सागरपुर	17
51.	संजय बस्ती, तिमारपुर	22
52.	सराय रोहिल्ला	55
53.	सईद गांव (बचपन स्कूल के सामने)	7
54.	सीमापुरी	35
55.	शालिमार बाग़ (रेलवे क्रासिंग के पास)	5
56.	सुंदरनगरी (ब्लॉक–एन)	15
57.	उत्तमनगर	10
58.	वज़ीरपुर गांव, अशोक विहार	24

संलग्नक 2

अध्ययन के लिये उपयोग की गई प्रश्नावली

1. क्षेत्र का नामः
2. झुग्गी बस्ती का नामः
3. जमीन किसकी है?
    - डी.डी.ए.
    - एम.सी.डी.
    - पी.डब्ल्यू.डी.
    - रेलवे
    - डी.यु.एस.आई.बी.
    - रक्षा विभाग
    - एन.डी.एम.सी.
    - अन्यः
4. झुग्गी बस्ती का स्वरुप
    - पक्कीः
    - कच्चीः
    - पन्नी वालीः
    - अन्यः
5. बस्ती में कुल घरों की संख्याः
6. बस्ती कितने साल पहले बसी?:
7. किस राज्य के मूल निवासी है?:
8. व्यवसायः
    - लोहे का कामः
    - अन्यः
9. आखिरी बार बस्ती कब तोड़ी गई थी?:
10. सबूत के तौर पर पहचान/दस्तावेज कौन से है?
    - वोटर कार्ड
    - आधार कार्ड
    - बिजली बिल
    - राशन कार्ड
    - जाति प्रमाण पत्र
    - स्कूल प्रमाण पत्र
    - अन्य

11. कौन–कौन सी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं?
    - बिजली
    - पीने का पानी
    - शौचालय
    - आंगनवाड़ी
    - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
    - विद्यालय
    - सरकारी राशन की दुकान
    - कूड़ा घर
    - अन्य
12. सर्वेक्षणकर्त्ता का नामः
13. सर्वेक्षणकर्त्ता की टिप्पणीः

आवास और भूमि अधिकार संगठन (एच.एल.आर.एन./HLRN) दिल्ली में स्थित है। यह संगठन सभी व्यक्तियों और समुदायों, खास कर सबसे वंचित वर्गों, के उपयुक्त आवास और भूमि संबंधी मानवाधिकारों की पहचान, सुरक्षा और प्राप्ति के लिये काम करता है ताकि वे शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन जी सकें। संगठन के कार्यो का एक विशेष केन्द्र बिन्दु, महिलाओं के आवास, भूमि, सम्पति तथा उत्तराधिकार को बढ़ावा देना तथा संरक्षित करना है। यह संगठन अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जन वकालत, रिसर्च, मानवाधिकार की शिक्षा तथा स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर नेटवर्क बनाकर काम करता है।

"दिल्ली के गाड़िया लोहार समुदाय की जीवन-दशा" नामक इस रिपोर्ट में एच.एल.आर.एन. (HLRN) ने दिल्ली में एक अति वंचित और ऐतिहासिक रुप से घुमन्तु समुदाय, गाड़िया लोहारों की बस्तियों में किये गए एक प्राथमिक अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन में, जो गाड़िया लोहार समुदाय की सक्रिय सहभागिता से संचालित किया गया है, उनकी बस्तियों में रहने–सहने की निहायत ही खराब दशा का आंकलन किया गया है। साथ ही इसमें विभिन्न तरह के मानवाधिकारों खासकर उपयुक्त आवास के मानवाधिकार, के हनन पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में केन्द्र और राज्य सरकार के लिये सुझाव प्रेषित किये गए हैं ताकि इस समुदाय के सदस्यों की रहन–सहन की दशा में सुधार आये और उनका सम्मान, समानता और सुरक्षा के साथ जीवन जीना सुनिश्चित हो सके। एच.एल.आर.एन. (HLRN) यह आशा करता है कि दिल्ली में गाड़िया लोहारों के संदर्भ में जानकारी, आंकड़ों तथा जागरुकता की कमी दूर हो सकेगी तथा समुदाय के प्रति हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया जा सकेगा।

HOUSING AND LAND RIGHTS NETWORK

जी–18/1, निजामुद्दीन पश्चिम
नई दिल्ली – 110013
फोन: 91-11-4054-1680
ईमेल : contact@hlrn.org.in
वेबसाईट: www.hlrn.org.in

ISBN: 978-81-935672-5-8